इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जून 2015—आषाढ़ 1, शक 1937

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2015

क्र. एफ-19-1-2015-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,

(एक) खण्ड (सोलह-ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(सोलह-ग) "ठेकाधन" से अभिप्रेत है. वह उच्चतम बोली जो व्यापारिक खदान के संचालन के लिये प्रथम वर्ष में स्वीकार की गई है;";

(दो) खण्ड (तेईस) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तेईस-क) "परिवहन अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, उत्खनन संक्रिया से भिन्न संक्रियाओं से प्राप्त खनिज के परिवहन के लिये मंजूर की गई अनुज्ञा;";

2. नियम 3 में,—

(एक) खण्ड (दो) में, शब्द "सुधार" के स्थान पर, शब्द "सुधार अथवा निर्माण" स्थापित किए जाएं ;

(दो) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पांच) खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिये रेत को छोड़कर साधारण पत्थर, मुरूम एवं फर्शी पत्थर खनिज की अधिकतम 5 हेक्टेयर की एक–एक खदान, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा आरक्षित की जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायत की जनपद पंचायत आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करेगी। चिन्हित खदान से, खण्ड (दो) तथा खण्ड (तीन) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु गौण खनिज का उपयोग किया जा सकेगा। रेत की घोषित खदानों से रेत निशुल्क प्राप्त की जा सकेगी। ऐसी खदानों में उतने अभिवहन पारपत्र जारी किए जाएंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएं।"।

3. नियम 6 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकारी	खनिज	शक्तियों की सीमा
1	2	3	4
1.	संचालक	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 4, 6 एवं 7 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(एक)जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो।
		(दो) निजी भूमि में स्थित अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदान	(दो) जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो।
		(तीन) निजी भूमि में स्थित अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदान	(तीन) जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो।
		(चार) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(चार) जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो।
2.	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर (वरिष्ठ आई. ए.एस वेतनमान)	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिज।	(एक) जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(दो) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 , 6 एवं 7 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(दो) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक किन्तु 10.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(तीन) निजी भूमि में स्थित अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदान	(तीन) जहॉ आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(चार) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टों /भट्टो में ईटें और कवेलू (टाइल्स) बनाने के लिये साधारण मिट्टी।	(चार) जहॉ आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक हो।

		(पांच) निजी भूमि में स्थित अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदान	(पांच) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक किन्तु 10.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(छह) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज	(छह) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक किन्तु 10.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(सात) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज	(सात) जहॉ आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक हो।
3.	प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4, 6 एवं 7 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(एक) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(दो) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 से 7 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टों/भट्टो में ईटें और कवेलू (टाइल्स) बनाने के लिये साधारण मिट्टी।	(दो) जहॉ आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(तीन) निजी भूमि में स्थित अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदान	(तीन) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(चार) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(चार) जहॉ आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक न हो।
		(पांच) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज।	(पांच) जहॉ आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक न हो।

टिप्पणी:– अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी जिसे इन खनिजों का उत्खनन पट्टा मंजूर करने की शक्ति हो"।

4. नियम 7 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(2) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 तथा 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों की खदानों की अवधि नीलामी के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक होगी :

परन्तु यदि ठेकेदार, क्रमशः अनुसूची 'एक' के अनुक्रमांक 5 और अनुसूची 'दो' के अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए प्रारंभिक ठेका अवधि के भीतर कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग या यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण के लिये क्रशर स्थापित करता है तब अनुसूची 'एक' के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज के ठेके की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट खनिज के ठेके की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष होगी। ठेकेदार, इस विस्तारित अवधि के लिए, यथास्थिति, अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार क्रशर स्थापित करने के पश्चात् गिट्टी और पत्थर खनिज का पृथक से लेखा संधारित करेगा :

परन्तु यह और कि ठेका खदानों के स्वीकृत ठेकाधन में प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

स्पष्टीकरणः—उदाहरण के लिये यदि ठेकाधन रूपये 1000 है तब द्वितीय वर्ष में वार्षिक ठेकाधन रूपये 1050, तृतीय वर्ष में रूपये 1100, चतुर्थ वर्ष में रूपये 1150 तथा पांचवें वर्ष में रूपये 1200 होगा। इसी अनुरूप आगामी वर्षो में ठेकाधन की गणना की जाएगी।

5. नियम 17 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"परन्तु यह कि अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में उल्लिखित खनिज की शासकीय भूमि पर स्थित खदान के उत्खनन पट्टों का, अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नवीकरण नहीं किया जाएगा।"।

6. नियम 36 में, उपनियम (2) में पूर्णविराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"परन्तु खदान की नीलामी ई—ऑक्शन की प्रकिया द्वारा विहित शर्तों के अनुसार भी की जाएगी।"।

7. नियम 37 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(1) सफल बोली लगाने वाला, ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा और प्ररूप—सत्रह में, प्रतिभू बंधपत्र के साथ प्ररूप—अठारह में, निर्दिष्ट ठेके का करार निष्पादित करेगा।

यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों के आधार पर तीन माह की और समय वृद्धि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी। इस कालावधि में करार का निष्पादन किया जा सकेगा। यदि इस अवधि में सफल बोलीदार इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है तब उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसी दशा में नीलाम की गई खदान की बोली निरस्त करते हुये इसकी पुनःनीलामी की जाएगी।

निष्पादन में हुये विलंब के लिए, अधिकतम छह माह की अवधि का ठेकाधन, अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा।"।

8. नियम 68 में विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(एक) शब्द "गौण खनिज हटाने हेतु उत्खनन अनुज्ञा एवं परिवहन अनुज्ञा"

(दो) उपनियम (1) में, शब्द "मुरम" के स्थान पर, शब्द "मुरम एवं साधारण मिट्टी" स्थापित किए जाएं।

(तीन) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(6) नियम 3 के खण्ड (तीन) के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, सरकारी अथवा निजी भूमि से, निजी/सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा तालाब, बांध, नहर, स्टाप डेम, जल निकाय, भवन, सड़कें निर्मित किए जाने से तथा भूमि के समतलीकरण के कारण हटाये गये गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग के लिये व्ययन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

(अ) परिवहन अनुज्ञा, संबंधित जिले के खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से अभिप्राप्त की जाएगी, ऐसे प्रचालन से अभिप्राप्त खनिज उपयोग तथा परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा जारी की जाएगी। संबंधित जिले के खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा, आवश्यक जांच के पश्चात् परिवहन अनुज्ञा और अभिवहन पारपत्र जारी किया जाएगा और खनिज का अभिवहन पारपत्र के साथ ही किया जाएगा।

(ब) शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाले ऐसे खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पूर्व, रायल्टी दर की दुगनी के समतुल्य राशि अग्रिम जमा की जाएगी : परन्तु निजी भूमि की दशा में खनिज का मूल्य प्रचलित रायल्टी दर के बराबर होगा।

9. प्ररूप पंद्रह में,

(एक) खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(7) बोली लगाने के पूर्व बोली लगाने वाले को प्ररक्षित कीमत की 10 प्रतिशत की राशि अमानत राशि के रूप में ई–पेमेंट के माध्यम से या अन्य विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगी।"

(दो) खण्ड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(8) निक्षेपित अमानत राशि सफल बोली लगाने वाले को छोड़कर, समस्त बोली लगाने वालों को ई–पेमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से वापसी योग्य होगा। सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत वार्षिक ठेका धन की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति धन के रूप में ई–पेमेंट के माध्यम से या करार में अधिकथित किये गये निर्बंधनों तथा शर्तों के अनुपालन में विहित किए गए अनुसार पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत अमानत राशि देय 25 प्रतिशत राशि के विरूद्व समायोजन योग्य होगा। यह प्रतिभूति धन ठेके की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगा, जब कलक्टर/अपर कलक्टर का यह समाधान हो जाये कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/या करार की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पूरा किया गया है।

बोली लगाने वाले के उसके पक्ष में बोली समाप्त होने के पश्चात 15 दिवस की कालावधि के भीतर प्रतिभूति धन निक्षेप करने में असफल रहने की दशा में, उसके द्वारा अग्रिम (धन) समपहृत हो जायेगा तथा खदान की पुनः नीलामी की जायेगी।

वार्षिक ठेका धन नियम 7 के उपनियम (2) के अनुरूप परिवर्तन योग्य होगा।"।

(तीन) खण्ड (10) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(10) सफल बोली लगाने वाला, ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा और प्ररूप–सत्रह में प्रतिभू बंधपत्र के साथ प्ररूप–अठारह में, ठेके का करार निष्पादित करेगा। यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर और तीन माह की अवधि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी। इस अवधि में ठेके के करार का निष्पादन किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में यदि सफल बोली लगाने वाली औपचारिकताओं को पूर्ण

करने में असफल रहता है तब उसके द्वारा निक्षेपित प्रतिभूति धन में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसे मामलों में नीलाम की गई खदान की बोली निरस्त करने के पश्चात् इसकी पुनः नीलामी की जायेगी।

निष्पादन में हुये विलंब के लिए अधिकतम छह माह की अवधि का ठेकाधन आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा।"।

10. प्ररूप सोलह में,

(एक) खण्ड (3) के उपखण्ड (एक) का लोप किया जाये।

(दो) खण्ड (3) में, उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(दो) बोली लगाने से पूर्व बोली लगाने वाले को प्ररक्षित कीमत (अपसेट प्राइज) की 10 प्रतिशत की राशि, अमानत राशि के रूप में ई–पेमेंट के माध्यम से या किसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा करानी होगी।"

(तीन) खण्ड (4) में उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(क) निक्षेपित अमानत राशि सफल बोली लगाने वाले को छोड़कर, समस्त बोली लगाने वालों को ई–पेमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से वापसी योग्य होगा। सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत वार्षिक ठेका धन की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति धन के रूप में ई–पेमेंट के माध्यम से या करार में अधिकथित किये गये निर्बंधनों तथा शर्तों के अनुपालन में विहित किए गए अनुसार पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत अमानत राशि देय 25 प्रतिशत राशि के विरूद्व समायोजन योग्य होगा। यह प्रतिभूति धन ठेके की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगा, जब कलक्टर/अपर कलक्टर का यह समाधान हो जाये कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/या करार की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पूरा किया गया है।

बोली लगाने वाले के उसके पक्ष में बोली समाप्त होने के पश्चात 15 दिवस की कालावधि के भीतर प्रतिभूति धन निक्षेप करने में असफल रहने की दशा में, उसके द्वारा अग्रिम (धन) समपहृत हो जायेगा तथा खदान की पुनः नीलामी की जायेगीं।

वार्षिक ठेका धन नियम 7 के उपनियम (2) के अनुरूप परिवर्तन योग्य होगा।"।

(चार) खण्ड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(6) सफल बोली लगाने वाला, ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा और प्ररूप–सत्रह में प्रतिभू बंधपत्र के साथ प्ररूप–अठारह में, ठेके का करार निष्पादित करेगा। यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर और तीन माह की अवधि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी। इस अवधि में ठेके के करार का निष्पादन किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में यदि सफल बोली लगाने वाली औपचारिकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है तब उसके द्वारा निक्षेपित प्रतिभूति धन में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसे मामलों में नीलाम की गई खदान की बोली निरस्त करने के पश्चात् इसकी पुर्न नीलामी की जायेगी।

निष्पादन में हुये विलंब के लिए अधिकतम छः माह की अवधि का ठेकाधन अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा।"।

11. प्ररूप अठारह में,–

(एक) खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"यतः ठेकेदार, ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकाधन रूपये ..... प्रथम वर्ष के लिए भुगतान करनें के लिए सहमत हो गया है, जो राशि इसमें इसके पश्चात् ठेका धन कहलायेगी और उसने रूपये ..... अर्थात् वार्षिक ठेका धन का 25 प्रतिशत (निक्षेपित अग्रिम राशि के समायोजन के पश्चात्) प्रतिभूति धन के रूप में भुगतान कर दिया है, जो ठेके के करार का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

अतः कलक्टर/अपर कलक्टर ..... नें उसे एक व्यापारिक खदान का ठेका मंजूर किया है, जिसकी योजना संलग्न है, जिसका क्षेत्रफल ..... हेक्टर है, और जिसके विवरण संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए हैं, जो अब आगे **"खदान"** कही जायेगी।

(दो) उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(2) ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा के खनिज का खनन कार्य करेगा। अनुमोदित खनन योजना का यदि पुनरीक्षण किया जाता है तो वार्षिक ठेकाधन आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। खनन योजना के पुनरीक्षण की स्थिति में यथा

आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जाएगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से कम मात्रा में उत्खनन नहीं किया जायेगा। यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से 20 प्रतिशत कम हो तो इस मात्रा के आगामी वर्ष में निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु उस वर्ष के ठेकाधन में अवशिष्ट मात्रा के अंतर की राशि जमा की जानी होगी। ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा का खनन अनिवार्य होगा अन्यथा इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूति राशि समपहृत की जा सकेगी :

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 के उपनियम (2) एवं (3) के प्रयोजन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा वास्तविक आवश्यकता के प्रमाणीकरण के पश्चात् तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आदेश से ठेकेदार का रायल्टी मुक्त अभिवहन पारपत्र के माध्यम से ठेका क्षेत्र से रेत खनिज ले जाये जाने के लिए अनुमत किया जाएगा। अभिवहन पारपत्र ऐसी मात्रा में जारी किये जायेगें जैसी कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाये।"

(तीन) खण्ड 11 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(11) ठेकेदार अपने खर्चे पर पट्टांतरित भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह तथा स्तंभ लगवाएगा तथा एक सूचना पटल, खदान का नाम, खसरा क्रमांक, रकबा, खदान की अवधि, ठेकेदार का नाम, पता, संपर्क दूरभाष क्रमांक और खनिज विक्रय दर का उल्लेख करते हुए, स्थापित करेगा। स्तंभों पर अक्षांश एवं देशांश के विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।"।

No. F 19-1/2015/12/1, In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No 67 of 1957), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 2,-

(i) after clause (xvi-b), the following clause shall be inserted namely,:-

"(xvi-c) 'Contract money' means that highest bid which is accepted for first year, for operation of trade quarry;";

(ii) after clause (xxiii), the following clause shall be shall be inserted, namely:-

"(xxiii-a) 'Transport Permit' means the permit granted for transportation of the mineral won by operations other then mining operation;";

2. In rule 3,-

(i) in clause (ii), for the word "improvement" the words "improvement or construction" shall be substituted.

(ii) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) For the purpose of clause (ii) and (iii), excluding sand, one quarry each of maximum 5 hectares of ordinary stone, murrum and flagstone, shall be reserved by the Collector on the proposal of Gram Panchayat. The Janpad Panchayat of concerned Gram Panchayat shall obtain necessary environmental permission. Minor mineral from the identified quarry may be utilised for the purpose mentioned in clause (ii) and (iii). Sand may be obtained free of cost from the declared quarry of sand. The transit pass shall be issued in such quantity as prescribed by State Government from time to time.".

3. In rule 6, for the table, the following table shall be substituted, namely;-

"TABLE

S. No. (1)	Authority (2)	Minerals (3)	Extent of powers (4)
1.	Director	(i) Minerals specified in serial number 1 to 4,6 and 7 of Schedule I.	(i) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.
		(ii) Quarry of minerals specified in serial number 5 of Schedule I situated in private land.	(ii) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.
		(iii) Quarry of minerals specified in serial number 3 of Schedule II situated in private land.	(iii) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.
		(iv) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(iv) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.

2.	Collector/Additional Collector (Senior IAS Scale)	(i) Minerals specified in serial number 1 to 3 of Schedule I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 10.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4, 6 and 7 of Schedule I.	(ii)Where the area applied for exceeds 2.00 hectares but does not exceeds 10.00 hectares.
		(iii) Quarry of minerals specified in serial number 5 of Schedule I situated in private land.	(iii) Where the area applied for does not exceeds 10.00 hectares
		(iv) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/kilns.	(iv) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
		(v) Quarry of minerals specified in serial number 3 of Schedule II situated in private land.	(v)Where the area applied for exceeds 2.00 hectares but does not exceeds 10.00 hectares.
		(v) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(v) Where the area applied for exceeds 2.00 hectares but does not exceeds 10.00 hectares.
		(vi) Minerals specified in serial number 5 to 12 of Schedule II.	(vi) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
3.	Officer Incharge, Mining Section	(i) Minerals specified in serial number 4, 6 and 7 of Schedule I.	(i) Where the area applied for dose not exceed 2.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II, ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/kilns.	(ii) Where the area applied for dose not exceed 4.00 hectares.
		(iii)Quarry of minerals specified in serial number 3 of Schedule II situated in private land.	(iii) Where the area applied for dose not exceed 4.00 hectares
		(iv) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(iv) Where the area applied for dose not exceed 2.00 hectares.
		(iv) Minerals specified in serial number 5 to 12 of Schedule II.	(iv) Where the area applied for dose not exceed 4.00 hectares.

Note: Power to sanction prospecting license of mineral specified in serial number 1 to 3 of schedule I shall be with those authorized officer who has the power to sanction quarry lease of these minerals.".

4. In rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The period of quarry of minerals specified in serial number 5 of schedule I and mineral specified in serial number 1 and 3 of schedule II shall be upto the end of fifth financial year from the financial year, fixed for auction:

Provided that if contractor establishes cutting and polishing industry or crusher for making gitti by mechanical means, within an initial period of contract, for mineral specified in serial number 5 of schedule I and serial number 3 of Schedule- II respectively, then the period of contract quarry of minerals specified in serial number 5 of Schedule-I shall be 15 years instead of 5 years and period of contract quarry of mineral specified in serial number 5 of serial number 3 of Schedule-II shall be 10 years instead of 5 years. For extended period contractor shall submit approved mining plan/environmental permission. The contractor shall maintain separate account of gitti and mineral after establishing crusher:

Provided further that, a contract money of the contract quarry shall be increased by 5 percent every year excluding first year.

Explanation: For example if contract money is Rupees 1000 then contract money for second year shall be Rupees 1050 for third year Rupees 1100, for fourth year Rupees 1150 and for fifth year Rupees 1200. Likewise calculation of contract money for ensuing years shall be made.

5. In rule 17, after the first proviso the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that quarry lease of mineral mentioned in serial number 5 of Schedule-I on Government land shall not be renewed after the expiry of its period.".

6. In rule 36, in sub-rule (2), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that auction of the quarry shall also be made by the process of e-auction as per the conditions prescribed.".

7. In rule 37, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Successful bidder within a period of three months from the date of receipt of intimation of approval of contract shall submit approved mining plan and environmental permission and shall execute contract agreement in Form XVIII together with surety bond in Form XVII. If the mining plan and necessary environment permission is not submitted within above period, then the further period of three months may be

given for completing formalities, by competent authority on the basis of reasons to be recorded. In this period agreement of contract may be executed. In the prescribed period, if successful bidder fails to complete the formalities, then after deduction of 10% amount of security money deposited by him remaining amount shall be refundable. In such cases the quarry shall be reauctioned after cancellation of bid of auctioned quarry. For the delay in execution the contract money of maximum six month period may be reduced proportionately.".

8. In rule 68,-

(i) For the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :-

"Quarry permit and transport permit for removal of minor minerals.".

(ii) in sub-rule (1), for the word "murrum" the words "murrum and ordinary clay" shall be substituted.

(iii) for the sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(6) Subject to proviso of clause (iii) of rule 3, minor mineral removed, from the Government or private land by the private/Government institution or person on construction of pond, dam, canal, stop dam, water body, building, roads and due to leveling of land, are used for commercial purposes the procedure of disposal shall be as follows:-

(a) The transport permit shall be obtained from the Mining Officer/Officer In-charge of Mining Section, of concerned district, shall issue transport permit for use and transportation of mineral obtained from such operation . Mining Officer/Officer In-Charge of Mining Section of concerned district shall issue transport permit and transit pass after making necessary inquiry and mineral shall be transported alongwith transit pass.

(b) Prior to issuance of transport permit of such mineral, obtained from Government land, the value equivalent to the double the rate of royalty shall be deposited in advance, but in the case of private land the value of mineral shall be equal to the prevailing rate of royalty.".

9. In Form XV,-

(i) for clause (7), the following clause shall be substituted, namely:-

"(7) Before bidding, the bidder shall have to deposit the 10% amount of upset price as earnest money through e-payment or as per any prescribed procedure.";

(ii) for clause (8), the following clause shall be substituted, namely:-

"(8) The earnest money deposited shall be refundable through the procedure of e-payment to all the bidders except the successful bidder. The successful bidder shall have to deposit 25% amount of accepted annual contract money as security money within a period of 15 days through e-payment or as per prescribed for observance of terms and conditions laid down in the agreement. The 10% earnest money deposited by the successful bidder shall be adjustable against the 25% amount to be paid. The security money shall be refundable only after the expiry of the period of contract on satisfaction of the Collector/Additional Collector that all rules and/or conditions of the agreement have been satisfactorily fulfilled by the contractor.

In case the bidder fails to deposit the security money within the period of 15 days after the bid is knocked down in his/her favour, the earnest money deposited by him/her shall be forfeited and the quarry shall be re-auctioned. Annual contract money shall be changeable as per sub-rule (2) of rule 7.".

(iii) For clause (10), the following clause shall be substituted, namely:-

"(10) Successful bidder within a period of three months from the date of receipt of intimation of approval of contract, shall submit approved mining plan and environmental permission and shall execute contract agreement in Form XVIII together with surety bond in Form XVII. If the mining plan and necessary environment permission is not submitted within above period then the further period of three months may be given for completing formalities, by competent authority on the basis of reasons to be recorded. In this period agreement of contract may be executed. In the prescribed period, if successful bidder fails to complete the formalities then after deduction of 10% amount of security money deposited by him remaining amount shall be refundable. In such cases the quarry shall be reauctioned after cancellation of bid of auctioned quarry.

For the delay in execution, the contract money of maximum six month period may be reduced proportionately.".

10. In Form XVI,-

(i) sub-clause (i) of clause (3) shall be omitted.

(ii) in clause (3), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Before bidding, the bidder shall have to deposit the 10% amount of upset price as earnest money through e-payment or as per any prescribed procedure.";

(iii) in clause (4), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(a) The earnest money deposited shall be refundable through the procedure of e-payment to all the bidders except the successful bidder. The successful bidder shall have to deposit 25% amount of accepted annual contract money as security money within a period of 15 days through e-payment or as per prescribed for observance of terms and conditions laid down in the agreement. The 10% earnest money deposited by the successful bidder shall be adjustable against the 25% amount to be paid. The security money shall be refundable only after the expiry of the period of contract on satisfaction of the Collector/Additional Collector that all rules and/or conditions of the agreement have been satisfactorily fulfilled by the contractor. In case the bidder fails to deposit the security money within the period of 15 days after the bid knocked down in his/her favour, the earnest money deposited by him/her shall be forfeited and the quarry shall be re-auctioned.

Annual contract money shall be changeable as per sub-rule (2) of rule 7.".

(iv) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely:-

"(6) Successful bidder within a period of three months from the date of receipt of intimation of approval of contract, shall submit approved mining plan and environmental permission and shall execute contract agreement in Form XVIII together with surety bond in Form XVII. If the mining plan and necessary environment permission is not submitted within above period then the further period of three months may be given for completing formalities, by competent authority on the basis of reasons to be recorded. In this period agreement of contract may be executed. In the prescribed period, if successful bidder fails to complete the formalities then after deduction of 10% amount of security money deposited by him remaining amount shall be refundable. In such cases the quarry shall be reauctioned after cancellation of bid of auctioned quarry.

For the delay in execution the contract money of maximum six month period may be reduced proportionately.".

11. In Form XVIII,-

(i) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :-

"(1) whereas, the contractor in accordance with the conditions of the contract has agreed to pay the contract money Rs. ..... for the first year, which amount shall hereinafter be called the contract money and has paid Rs. ..... as security money i.e. 25% (after the adjustment of deposited earnest money) of the contract money which amount shall be liable for forfeiture, in the event of any kind of breach of the contract agreement, and

Whereas, the Collector/Additional Collector ..... has sanctioned him/her a contract for the trade quarry the plan of which is annexed, the area of which is ..... hectare and details of which are given in the enclosed Schedule "A", which shall henceforth be called the Quarry.".

(ii) for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(2) The contractor shall do extraction work of the quantity of mineral mentioned in the approved mining plan. If the approved mining plan is revised then the annual contract money shall be revised proportionately. In case of revision of mining plan, environment permission shall be obtained as required. In contract period excavation less than mentioned quantity in approved mining plan shall not be carried out. If in any year the excavated quantity is 20 percent less than the quantity mentioned in approved mining plan then this quantity shall be permitted to be removed ensuing year but the difference in contract money of that year for the quantity carried over shall be deposited. Excavation of quantity mentioned in approved mining plan in contract period shall be mandatory otherwise the security amount so deposited may be forfeited.

For the purpose of sub-rule (2) and (3) of rule 3 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996 after certification of actual requirement from Sarpanch and Secretary of the concerned Gram Panchayat and by the order of Tahsildar/Nayab Tahsildar the contractor shall allow to carry sand through royalty free transit pass from the contract area. The transit pass shall be issued in such quantity as prescribed by State Government from time to time.".

(iii) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely :-

"(11) the contractor shall, at his/her own expenses erect boundary marks and pillars along the boundaries of the demised lands and put on notice board showing name of the quarry, khasra number, area, period of quarry, name of the contractor, address, contact, telephone number and rate of sale of mineral. Details of longitude and latitude shall be displayed on the pillars.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.